

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/25/2025

श्री जितेन्द्र सिंह फौजदार एडवोकेट, किराया अधिकरण के पास, गेट नं. 5,
न्यायालय परिसर भरतपुर राज0 पिन नं. 321001 मो.नं. 9602737485

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कलक्टर भरतपुर

.....रेसपो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


आदेश

दिनांक 30.05.2025

अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सिंह फौजदार एडवोकेट, किराया अधिकरण के पास, गेट नं. 5, न्यायालय परिसर भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/25/445 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कलै0 भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कलै0 भरतपुर से पत्र क्रमांक नासु/भरत./आरटीआई./2025/1625 दिनांक 27.05.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक नासु/भरत./आरटीआई/2025/904 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा सम्बन्धित आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।


जिला कलक्टर
भरतपुर

.....2




(2) अपील/आरटीआई/25/2025
जितेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अ. प्र.अधि. नगरिक सुरक्षा

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं का बिन्दुवार जबाब दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कलै0 भरतपुर को प्रेषित हो। साथ ही आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।




(डॉ. अमित यादव)
जिला कलेक्टर
भरतपुर